Finance Ministry raised some objections. They said that it was a secret matter and it could not be discussed. All the documents of the RBI were relased to the Press. All the documents were given to the Chairman. Still they were saying that it was secret.

On the 8th August, when I wanted to know whether any loan was issued for implementing hotel and yarn projects, the answer was, "it cannot be disclosed." What does it mean? I have disclosed it. I have disclosed the R.B.I. documents to the Press. I have disclosed the R.B.I. documents to the Finance Minister. Then, how is it still being totld to me that it is secret? This is the only purpose why, even when the hon. Finance Minister is not here, today, Mr. Vice-Chairman, Sir, I am taking up the issue. I will ask five or six pointed questions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Dipankar Mukherjee....

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: I think I have not taken 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): But much time isn't there.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: How much time do you want to give me? I will summarise my questions.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay. You put straight questions.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: Okay. The first thing is secrecy. I think I have talked a lot about it. I will ask particularly with respect to one of the banks for which I have the documents. Before that, will the Government specifically tell me how much of these loans of Rs. 150 crores have become sticky?

....(*Interruptions*)..... Sticky; irrecoverable. Secondly, does not the R.B.I. regulations indicate that this is the repetition of the securities scam? thirdly,—and in this you will also be interested—the Allahabad Bank is a banker for the Tyre Corporation, a sick undertaking. A draft rehabilitation scheme has been given to the B.I.F.R. which is acceptable to the B.I.F.R.. For eight months, they have been asking for Government guarantee and putting so many conditionalities—what guarantee? What security? Were M/s M.S. Shoes Ltd. asked to fulfill the same conditionalities? Is it not discrimination? Is it not a fact that the Tyre Corporation were prepared to morgage assets worth Rs. 150 crores against an advance of Rs. 15 crores, for which the same bank did not agree also? What was the guarantee? what was the mortage given by M/s M.S. Shoes? I would like to know it. Thirdly, if the underwriters had undertaken to make good the shortfall of the subscribed issue, have they since paid the same? If not, then the irregularities were there, despite which the loan was given. Fourthly, were not the R.B.I. guidelines violated regarding bridge loans? Fifthly, is it not a fact that these non-performing advances will not be recoverable in future? Sixthly, and lastly, how did the money go to the stock brokers?

I hope now at least the hon. Finance Minister will give me a reply. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you. The reply to this Half-an-Hour discussion will be given by the Finance Minister in the next session.

I. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) AMENDMENT ORDINANCE, 1995 (No. 7 OF 1995)

II. THE SICK TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) AMENDMENT BILL, 1995

III. STATUTORY RESOLUTION SEEKING DISAPPROVAL OF THE TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) ORDINANCE, 1995 (No. 6 OF 1995)

IV. THE TEXTILE UNDERTAKINGS (NATIONALISATION) BILL, 1995

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, we shall take up the Statutory Resolution disapproving the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Amendment Ordinance, 1995 (No. 7 of 1995) and the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Amendment Bill, 1995, and also the Statutory resolutions disapproving the Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1995 (No. 6 of 1995) and the Textile Undertakings (Nationalisation) Bill, 1995, all together.

Shri Jagdish Prasad Mathur, you move the Resolution and speak. But, please be brief because we do not have much time.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प उपस्थित करता हूं "यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रस्थापित रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) संशोधन अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 7) का, तथा, राष्ट्रपति द्वारा 27 जून, 1995 को प्रस्थापित कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अध्यादेश, 1995 (1995 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है"।

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY): Sir, I beg to move:

"That the Bill to amend the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and transfer of Undertakings) Act, 1986, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, I also beg to move:

That the bill to provde for the acquisition and transfer of the textile undertakings, and the right, title and interest of the owners in respect of the textile undertakings, specified in the First Schedule with a view to augmenting the production and distribution of different varieties of cloth and yarn so as to subserve the interests of the general public and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

Sir, Pending their nationalisation, the management of Elphinstone Spinning and Weaving Mills, Bombay and 12 other textile mills at Bombay was taken over by the Central Government by the Textile Undertakings (Taking over of Management) Act, 1983 in public interest. Similarly, the management of two other textile undertakings at Kanpur was taken over by the Central Government by the Laxmirattan and Atherton West Cotton Mills (Taking over of mangement) Act, 1976.

After the take-over of the mangement of the 15 undertakings, large sums of money have been invested with a view to making these undertakings viable. However, investment for modernisation has not been done primarily because of the fact that the ownership of these undertakings has not vested in the Central Government. These undertakings have continued to be sick on account of a variety of factors, namely, obsolete machinery, excess manpower, shortage of working capital, etc.

The Government have approved a revised turnaround plan for the modernisation of these mills. The modernisation plan had also been approved by the Special Tripartite Committee of the Ministry of Labour. Nationalisation of these mills will result in vesting of ownership of these mills in the Central Govement and facilitate their modernisation and restructuring, if necessary, by transfer, mortgage, sale or by otherwise disposing of land, plant, machinery or any other assets of any of these textile undertakings.

The Parliamentary Standing Committee

on Commerce and textiles in its 15th Report presented on 21st August, 1995, had generally commented in favour of the need to modernise and restructure the National Textile Corporation with a view to improving its efficiency and eliminating the recurring losses. The Committee further feels that a close and persistent monitoring of the entire rehabilitation and modernisation programme is necessary. I would like to mention that the Government is fully committed to a successful revival of the National Textile Corporation which will be eminently in public and national interest, and the process will be kept under regular and close monitoring and review by the Government.

As per the plan, it is necessary to modernise all the NTC mills including the recently nationalised mills and restructure these mills for their revival by transfer, mortage, sale or by otherwise disposing of any land, plant, machinery and other assets of any of these undertakings. In order to provide flexibility and make explicit the specific enabling provision in the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Swadeshi Cotton Mills Co. Ltd., (Acquisition and transfer of Undertakings) fact, 1986, it has become necessary to amend these two Acts.

Sir, I do not want to take much time of the House and beg to move that the Textile Undertakings (Nationalisation) Bill, 1995 and the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Amendment Bill, 1995 as passed by Lok Sabha on 24.8.95 be taken into consideration.

The questions were proposed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, Shri Jagdish Prasad Mathur.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः श्रीमन् यह बड़ा गंभीर विषय है कि 12 साल बाद सरकार जागी है। मेरी जानकारी के अनुसार 132 कपड़ा कारखाने बंद हैं और लगभग 30 हजार हमारे कामगार बेकार पड़े हैं। मेरा विरोध इस आरडिनेंस के खिलाफ मुख्यतः इसलिए है कि सरकार ने यह आर्डिनेंस जारी किया 27 जून को। आज तक यह कभी ऐसा नहीं हुआ कि जो विषय, जो बिल स्टेंडिंग कमेटी के सामने पड़ा हो, उसी के दौरान आर्डिनेंस जारी कर दिया जाए। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि 9 जून को राज्य सभा के चेयरमेन महोदय ने इस बिल को स्टेंडिंग कमेटी को रैफर किया और 27 जून को आर्डिनेंस जारी किया गया और रिपोर्ट 21 अगस्त को प्रस्तुत हुई। तो यह एक विशेष प्रक्रिया, जबकि एक बिल स्टेंडिंग कमेटी के विचाराधीन है उस समय आर्डिनेंस जारी करके उस बिल को बाद में लाने का कारण क्या था? कौन सी ऐसी कठिनाई थी? आपने सबसे पहले 18 अक्तूबर, 1987 को 13 कारखाने लिए थे, उसके बाद 12 साल बीत गए, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन इतनी जल्दी की थी कि 9 जून को रिपोर्ट कमेटी के हवाले की जाती है, आप 18 दिन बाद आर्डिनेंस निकाल देते हैं और रिपोर्ट 21 अगस्त को आ जाती है। तो इन दिनों में ऐसी क्या मुश्किल थी कि आप 10-12-15 दिन भी नहीं ठहर सके। यह तो मैं जानता हूं कि आज की सरकार आर्डिनेंस की सरकार है। तो मेरा पहला आब्जेक्शन तो यही है कि इस प्रकार से आपको आर्डिनेंस जारी नहीं करना चाहिए था।

दूसरे लिबरेलाइजेशन के बाद आपने कपड़ा नीति में कभी संशोधन नहीं किया है, ऐसा मेरा अंदाजा है। तो लिबरेलाइजेशन के बाद और पुरानी नीति के होते हुए आपका यह पग 12 साल बाद उठाया जाना क्यों आवश्यक था और क्या आवश्यकता है और यह भी स्पष्ट करने की कृपा करें कि इसके बाद कपड़ा मिलों के बारे में आपकी कपड़ा नीति क्या है, क्योंकि इसमें संदेह हो रहा है। एक तरफ आप लिबरेलाइजेशन कर रहे हैं और दूसरी तरफ कारखानों का सरकारीकरण करते जा रहे हैं। मेरी आपत्ति यह नहीं है कि आप सरकार के हाथ में देकर अथवा एन० टी० सी० के हाथ में देकर मजदूर के हित की रक्षा करें, कपड़ा उठाएं। क्योंकि मेरी चिंता सबसे अधिक इस बात की है कि मजदूर का हित क्या होगा? दूसरे, यह कि बाजार में कपड़ा अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या यह हो रहा है? आप देखें जिस एन० टी० सी० के हवाले आपने किया है उसको आज भी 4585 करोड़ रुपए का घाटा है। आपने खुद जो पहला स्टेटमेंट दिया था, जब आपने यह प्रस्तुत किया था उसमें मैंने आपसे कहा था—

"....large amounts of money had been invested for making this industry viable."

आपने बजटरी सपोर्ट देकर लाखों-करोड़ों रुपया लगा

दिया, फिर भी नहीं हुआ। अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें भी कहा है कि हमारे पास भी कारखाने घाटे में चल रहे हैं। तो इतनी सारी मिल्स, 13-15 लेने के बाद आज भी वह घाटे में चलती रही और बजटरी सपोर्ट लेने के बाद आप उनको ठीक नहीं कर सके। और जो एन० टी० सी० का रिकार्ड है वह यह है कि आज भी 4585 करोड़ रुपए की हानि है, बजटरी सपोर्ट आपको देनी पड़ रही है। अब आप बजटरी सपोर्ट न दें, यह अच्छा होगा। स्थिति यह है कि बैंक वालों ने एन० टी० सी० को ऋण देना बंद कर दिया है। अनेक ऐसे उदाहरण हैं, वह कहते हैं कि आप पैसा खा जाएंगे, देते नहीं हैं। शायद किसी व्यक्ति पर पैसा हो तो बैंक कुर्की कर ले परन्तु एन० टी० सी० का कुछ नहीं कर सकते।

7.00 P.M.

फिर तीसरे, एन.टी.सी. के अधीन जितने भी कारखाने हैं, उनमें, सबमें लेबरों का रिट्रेंचमेंट किया गया, उनको बेकार कर दिया गया या मजबूर करके उनको जिसको आपने गोल्डन शेकहैड कहा है, उनको मजबूर होकर रिटायर होना पड़ा। ऐसे ही प्रोविडेंट फंड, इंश्योरेंस का पैसा भी जमा नहीं किया, करोड़ों, रुपया बाकी है तो ऐसे एन.टी.सी. के पास और ये कारखाने दे करके आप कितना भला करेंगे, इसमें मुझे संदेह है। तो मैं चाहूंगा कि आप इस संदेह को दूर करें। नंबर एक किसी भी मजदूर को हटाया नहीं जाएगा जैसे मेरे सहयोगी ने शायद बिप्लव बाबू का संशोधन है किसी का, उसमें लिखा है कि मजदूरों की जो कंटीन्यूटि है सर्विस की, वह रहनी चाहिए, उस बिल में अमेंडमेंट दिया है, उससे मैं सहमत हूं वरना आपने कारखाना दे दिया और जितनी भी उसकी सर्विस है, काउंट नहीं करेंगे तो वह मारा जाएगा। तो मुझे दूसरी चिंता यह है कि क्या वाकयी प्रोडक्शन बढ़ेगा? एक और मुश्किल है, आप टेक-ओवर कर लेते हैं। टेक-ओवर करने के बाद आपने नेशनलाइज़ भी नहीं किया और बीच में लटका हुआ है श्रीमन्। टेक-ओवर करने के बाद न नेशनलाइज़ करते हैं, कोई जिम्मेदारी भी लेने को तैयार नहीं है और न मुआवज़ा देने को तैयार है। अरे भाई, टेक-ओवर करके न नेशनलाइज़ करते हैं जिससे कि सारा मुआवज़ा देकर पूरी जिम्मेदारी ले लें और न उसको आज़ाद छोड़ते हैं, बीच में लटकाए रखते हैं, यह नीति अच्छी नहीं है। नेशनलाइज़ करना है तो सीधे-सीधे नेशनलाइज़ करो। तीन प्रकार के कारखाने हैं नंबर एक जो मुआवज़े पर चल रहे थे, नंबर दो जिनको कि आपने नेशनलाइज़ कर लिया, टेक-ओवर कर लिया। नंबर तीन, जो बंद पड़े हैं तो जो मुआवज़े में चल रहे थे, उनकी भी हालत यही है। मेरे पास तो उदाहरण है "दि न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे नेशनल कंपनी"। आपने 1983 में इसको लिया। मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, 12 साल हो गए हैं और मुकदमे का फैसला नहीं हो रहा है और यह कारखाना कैसा है, जो कि फायदे में चल रहा था। जो फायदे में, मुनाफे में कारखाना चल रहा है, आपने उसको ले लिया और सुप्रीम कोर्ट ने आज तक उसका फैसला नहीं किया और अगर मैं....मैं इतनी जल्दी कैसे बंद कर दूं? यह महत्वपूर्ण बिल है। It is just not possible, it is just not possible.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I agree with you.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः यह कोई स्पेशल मेंशन नहीं है।

VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): But you are moving the motion, you are not speaking on the main resolution.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः वह तो एक ही बात हुई ना। मुझे जवाब अभी दे दीजिए, मैं जवाब में एक घंटा बोल लूंगा तो अभी एक घंटा बोल लेता हूं लेकिन आप कहते हैं—तो बात तो एक ही हुई ना।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी० नारायणासामी) : आप संक्षेप में बोलिए ना। Please be very short.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः इतना शार्ट नहीं है कि बात ही न बने। It is not possible.

यह जो रिपोर्ट स्टैंडिंग कमेटी की है, वह खुद कहती है, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं वरना आप शोर मचाने लगेंगे।

> "Under the provisions of the Bill a revival package for modernisation and rehabilitation of these mills would be implemented."

अंत में "the committee, therefore, recommends that the Ministry should take adequate steps in this regard through the NTC."

सुप्रीम कोर्ट के बारे में, "This would include a complete restructuring of the management of the NTC."

एन.टी.सी. के आपके मैनेजमेंट के बारे में स्वीकार करना होगा, इसको आप मुझे बताइए। इतना ही नहीं है श्रीमन्, मैं तो आप ही को याद दिला रहा हूं वेंकटस्वामी जी, आप ही होंगे शायद।

> There was a news report from Ahmedabad, dated April 6th, which says, "Shri G. Venkat Swamy, the Minister of State for

Textiles said here today that high level corruption in the National Textile Corporation was wholly responsible for the poor state of NTC mills in the country."

श्री जी. वेंकटस्वामी: इससे आपको तकलीफ हो रही है?

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: नहीं, नहीं, मैं कह रहा हूं। मुझे तकलीफ नहीं हो रही है। तकलीफ आपको हो रही है। आप एन.टी.सी. के बारे में कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। जैसे आपने बिलकुल ठीक कहा, मैं सहमत हूं कि एन.टी.सी. के कारखाने आप बंद कर रहे हैं क्योंकि मजबूरी है, आप क्या करेंगे, मुझे यह तो बताइए।

"If the private mills could make profit, why not the NTC mills"? the minister asked.

तो वही अब पहले सवाल आ जाता है कि अगर आपकी पॉलिसी है तो क्या आपने सोचा कि इन कारखानों को मजदूर लेना चाहेंगे? ले लें, जैसे बंगाल में एकाध छोटे कारखाने हैं, जूट के कारखाने को लिया है। आपने ऐप्रोच नहीं किया है। अगर नहीं किया आपने तो मंत्री जी को मैं सुझाव दूंगा कि करना चाहिए।

श्री जी. वैंकटस्वामी: मैंने मिनिस्टर बनते ही किया था।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मैं बाद में बधाई दूंगा, बोलने के बाद। क्या इसी प्रकार की स्थिति और कारखानों की भी है कि जो मुनाफे में चल रहे हैं उनको आप लेंगे। एक बात आपने कही है स्पेशल ट्राइपरट्राइट कमेटी की। 9 अप्रैल, 94 को आपने उसमें 8 बिंदु स्वीकार किये थे। आपने आठ बिंदुओं में से 94 से लेकर आज 95 तक कितनी बातों को पूरा किया है, यह मैं जानना चाहूंगा कहिये तो मैं वे आठ बिंदु गिना दूं।

श्री जी वैंकटस्वामी: आई नो।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आप जानते हैं, जो मेरे मित्र हैं वे भी जानते होंगे लेकिन जिनको पता नहीं है, न पता होने दे, कोई बात नहीं।

श्री जी. वैंकटस्वामी: आपके रिप्रेजेन्टेटिव थे उसमें।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: मुझे मालूम है इसीलिए पूछ रहा हूं। आपने 8 बिंदु तय किये थे उसमें से आपने 94 से लेकर आज तक किसी पर पालन किया है?

श्री जी. वैंकटस्वामी: यहां से कर रहा हूं।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: आज से शुरू करेंगे। 94 से लेकर 95 हो गया, एक साल के बाद आप शुरू करेंगे, यही तो मुश्किल है। 21 अप्रैल को इसी साल केबिनेट सब-कमेटी ने फैसला कर दिया। उसके बाद भी आप चुप बैठे हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक आपने एक भी कदम उठाया? ऐसे ही खासतौर से गुजरात की कम्पनियों के बारे में जो बंद पड़ी हैं उनका कुछ नहीं किया। जो चल रही हैं उनको तो ले लिया और जो बंद पड़ी हैं उनके बारे में आप क्या करना चाहते हैं? उनको चलाने की कोशिश कीजिए। चलती गाड़ी में सब बैठ जायेंगे लेकिन जहां चलती नहीं वहां चलाइये। एक आबिद अली कमेटी बनी थी। आबिद अली कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशसं की थीं जिनमें एक मुख्य रिकमेंडेशन यह थी कि एक रिस्ट्रक्चरिंग फंड बनाया जाए। रिस्ट्रक्चरिंग फंड के बजाए आप उनको लेकर असेट्स को बेचना चाहते हैं। अगर ऐसा करते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर आप असेट्स लेकर, जमीन बेचकर, पैसा लेकर उनको ठीक करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन आप करेंगे क्या? जो आपने दो हिस्से बनाये हैं उससे मेरी असहमति है। आपने कहा है कि कैटेगरी एक जो है उनको पहले पैसा देंगे और मजदूरों को बाद में पैसा देंगे। मेरा आग्रह है कि इसको बदल दीजिए। जो पैसा मिलेगा उसमें से पहले मजदूरों का भुगतान कीजिए और उसके बाद दूसरा भुगतान कीजिए। यह हमारे किसी मित्र सी.पी.एम. के साथी ने कही है, मैं उससे सहमत हूं।

मिल मालिकों का मैं कोई बड़ा समर्थक नहीं हूं। लेकिन फिर भी कुछ बातें तो आपको जरूर करनी पड़ेंगी। आपका एक बिल है इस बिल में 15 नाम दिये गये हैं जिनमें 13 बम्बई के हैं और दो कानपुर के हैं। आपको मालूम है बम्बई में क्या स्थिति है? आज वहां 50-60 लाख रुपये परस्कवेयर फीट जमीन है। लगभग इसी हिसाब से जमीन बेची जायेगी। इसमें कौन मिलेगा आपको? आप क्या करेंगे? मैं निवेदन कर रहा हूं आपने कितना तय किया है मुआवजा? मैक्सीमम 9 करोड़ के लगभग है। इज इट ए कम्पैनसेशन? कम से कम कुछ न्याय करिये।

श्री जी. वैंकटस्वामी: रस चूस लिया है गुठली रह गई है।

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: यह मैं जानता हूं रस चूसा है। आप रस तो न चूसो। जैसा आपने कहा करप्शन है, यह आपके कब्जे में है। इसीलिए मैं कहता हूं। यह रिपोर्ट है स्टेंडिंग कमेटी की।

Sir, the Standing Committee, in its

Report says, and I quote:

> "In the evidence tendered before the Committee as also the memoranda received by it, apprehensions have been expressed that because of the wide disparities in the price of land, as determined on the basis of book value and the one which prevail in the market today, there is a possibility that the deals regarding disposal of the surplus land in the sick mills may not be above board". Please note this——"may not be above board". Again the Committee says: "In its earlier reports too, the Committee has already expressed its concern that the various aspects related to the sick mills, including the settlement of dues of the workers and disposal of assets etc., many improprieties were attributed to the officers of NTC. The Committee would, therefore, like the Government to specially take note of this and keep them in view in the process of executing the revival package in respect of these mills."
>
> The Committee further observes that the determining of the value of land on the basis of book value may not be a just and fair criterion for calculating the compensation. This issue may later have the Government in prolonged litigations delaying the process of revival of the mills. The Committee would, therefore, like the Government to have a look into this aspect with a view to have a smooth course in the rehabilitation of the sick mills."

मेरा कहना यह है कि स्टेंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में आपने एन०टी०सी० कर्मचारियों के विषय में तो बड़ी ईमानदारी का सर्टिफिकेट आपने दिया है, उसके संदर्भ में आप इस पर विचार करें। मेरा सुझाव होगा—आप मानें या न मानें कि जितनी आप वेल्यू लाते हैं जमीन बेचकर उसका 2 परसेंट, एक परसेंट उनको देना चाहिए। इसके किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

मैं तीन-चार बातें कहना चाहूंगा। नम्बर 1 कि यह जो कारखाने एन०टी०सी० के पास जायेंगे, उनमें से किसी मजदूर की छटनी नहीं की जाएगी। दूसरा, इनकी जो सेवा है वह टूटेगी नहीं। उनकी सर्विस की कन्टिनुएटी रहेगी जो आपने बिल में से जानबूझकर हटा दिया। इस बारे में एक अमेंडमेंट सी०पी०एम० के श्री विप्लव दास या किसी का है, उसको आप स्वीकार कर लिजिए। जैसाकि मैं पहले कह चुका हूं, आपने दो कटैगरी बनाई है उनमें से पहला जो होना चाहिए पार्ट ए Part A relates to the post-takeover management period. But you should discharge the liabilities under Part B first. For example, "arrears in relation to provident fund, salaries,..." इसको पहले करिए और पार्ट ए को बाद में करिए, यह मेरा निवेदन है। आप कहते हैं कि चूस लिया है, तो जो चूसने वाला है उसको आप पहले पैसा क्यों देते हैं। मजदूर को पहले दीजिए और इस बारे में कम से कम आपका जो शैड्यूल है उसमें परिवर्तन कर दें, यह मैं आपसे आश्वासन चाहूंगा।

दूसरा यह है कि ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Mathur, you have covered all the points. You have made a very good suggestion.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः दूसरी बात यह है कि टेक-ओवर के बाद या नेशनलाइजेशन के बाद जो आपका घाटा हुआ है वह आप इस पैसे में से क्यों देंगे? आप कमाकर दीजिए। टेक-ओवर 1983 में किया गया था और 1983 से 1995 तक इतने करोड़ का घाटा कर दिया अगर आप यह उस पैसे से पूरा करेंगे तो यह न्याय नहीं होगा। आप अपनी नाकर्दी के लिए दूसरों को दंड दे रहे हैं। तो मैं यह आश्वासन चाहूंगा, पहला कि मजदूरों का रिट्रैचमेंट नहीं होगा, उनको पहले पैसा दिया जाएगा और ठीक न्याय करने जो मालिक है, जिनको आप मालिक कर रहे हैं उनको निकालने की बात करें और चौथा कि एन०टी०सी० को आप ठीक करेंगे। यदि निकालना पड़े तो 10-20 आफिसरों को निकालिए और जो 200 ईमानदार लोग हैं उनको लाइए।

DR. ISHWAR CHANDRA GUPTA (Uttar Pradesh): Mr. Vice-Chairman, Sir, the Textile Undertakings (Nationalisation) Bill, 1995, was introduced on 2nd June, 1995. But,

subsequently, an Ordinance was promulgated by the President on 27th June, 1995, for the nationalisation of fifteen sick textile undertakings.

Mr. Vice-Chairman, at the very outset, as Mr. Jagdish Prasad Mathur pointed out, I would say that this is a mockery of the democratic system—the promulgation of an Ordinance when the Bill was under the consideration of the Standing Committee of Parliament to which it was referred earlier. It appears that this Government wants to run this country on the basis of Ordinances. I do not find any justification or urgency for the promulgation of the ordinance when the session of Parliament was to begin just after a fortnigh. Again, the Government policy is for nationalization. I want to know whether nationalization also is a part of liberalization. If not, why nationalization?

The Sick Textile Undertakings (nationalisation) Amendment Bill, 1995 seeks to provide for transfer of assests by sale, mortage , etc., of the land and other assets of an undertakings for better management, modernization, restructuring and revival of these undertakings *inter-se* by the NTC. In the Bill it seeks to add section 11A in the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974, and also section 10A in the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986 to achieve these objectives. The 15 undertakings whose management was taken over are sought to be nationalized by this Act.

The preamble of the Bill states, "to provide for the acquisition and transfer of the textile undertakings and right, title and interest of the owners in respect of the textile undertakings with a view to augmenting the production and distribution of different types of cloth and yarn so as to subserve the interest of the general public and for matter connected therewith or incidental thereto." It also states that large sums of monies have been invested with a view to making the said textile undertakings viable. It has also been stated that further investment of large sums of money is necessary for the purpose of securing the optimum utilization of the available facilities for the production and distribution of cloth by the said textile undertakings. Further to it, such investment is also necessary for securing the continued employment of the workmen employed in the said textile undertakings.

Sir, I would like to draw your attention to the fact that the management of the said mills was taken over 10 years ago, and since then large sums of money have been invested with no result. Now it is said that in the absence of any budgetary support by the Government, it is envisaged that the NTC should generate its own resources to make these units viable. The Government proposes to raise funds through sale of surplus land and assets of the NTC mill. The mills which were taken over were making losses continuously year after year, and the Government have already invested, through NTC nearly Rs. 566.82 crores up to 31.3.1994 as a loan to these mills, including interest thereon. The Government could not improve the working of these mills and could not modernize them on the plea that modernization could be done only in nationalized mills. I would like to say, Sir, that the Government cannot achieve these objectives since some cases are pending in the Supreme Court, which has stayed the sale and transfer of any property till the stay order is vacated. It is very surprising how the Government can nationalize those mills against whom the Supreme Court has passed an interim order restraining the Union and the NTC from disposing of or parting with possession of or encumbering any of the immovable properties, fixed assets, plant and machinery of these units without obtaining the previous permission of the Supreme Court. If the Supreme Court orders against the disposal of assets, movable and immovable property, how

can the funds be generated for the modernization of the mills.

If we go into the objects of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986, we would find that the same objects were mentioned. I would like to quote:

"An Act to provide for the acquisition and transfer of the Sick Textile Undertakings and the right, title and interest of the owners in respect of the Sick Textile Undertakings with a view to reorganising and rehabilitating such Sick Textile Undertakings so as to subserve the interest of the general public by the augmentation of the production and distribution at fair price of different varieties of cloth and yarn.'

We would like to know, Sir, how far these objectives could be achieved after the lapse of such a considerable time. After the take-over of the management of these Mills, the condition further deteriorated. The entire set-up of these Mills was allowed to degenerate by top-heavy management with no room for professional competence, integrity, honesty or accountability. Corruption and nepotism by the top-level management have eaten into the vitals of these Mills. Before the take-over of these Mills, the financial position of the Mills was sound and the Bombay High court upheld this view.

In view of the Supreme Court interim order the sale of the land, property and machinery will not be possible even after the nationalisation of these Mills. In this respect, I would like to draw the attention of the Government to the Urban Land Ceiling Act. Till the Urban Land Ceiling Act is appilicable' the land of the Mills cannot be transferred to anyone because as per the provisions, the surplus land is to be considered as the land of the State.

I want to know whether any understanding has been reached or any talk has been held with the State Government because I know a number of cases. Even today, in Kanpur, the J.K. Jute Mills and the J.K. Cotton Mills have been closed. They have filed an application with the U.P. Government that permission may be given for sale of their valuable land. They do not want any money from banks. They do not want any money form the Government. But the U.P. Government is not giving the permission to them for that because under the Land Ceiling Act, they feel, this land belongs to them.

Similarly, I will mention the case of the Bagla Group. They are ex-owners of the Mayur Mills in Kanpur. There were huge libailities of income-tax against them. There was an arrangement between the Income-Tax authorities and the Bagla Group that they will give their land against tax liabilites. Nearly ten years have passed. The Congress Government was there. The BJP Government was there. The Mulayam Singh Government was there. But they could not get permission for sale of the land. How will you sell the land like this because there is no understanding and there is no home work for dealing with the State Government? You will nationalise the mills, but you will not be able to sell the land which is the main objective of your new Bill.

I want to draw the attention of the Government to the report of the *Amar Ujala* dated 19-8-95. It says that the properties of the Swadeshi Cotton Mills, the Laxmi Rattan Cotton Mills and other mills are being occupied by officers and other powerful personalities who have no concern with the mills. Only today morning we were discussing about the houses which were being occupied by unauthories people. Twelve years have passed. The mills were taken over twelve years ago. The houses and other properties have not yet been vacated. The property of the Swadeshi Cotton Mills in Kanpur, a big house with land and other things is now being occupied

by the Divisional Commissioner. What has the Divisional Commissioner to do with the NTC? You have not been able to get it vacated till date.

Various litigations are going on. Various other Acts are prohibitive. They will create problems in disposing of the surplus land. I would like to refer to the case of Bagla, which I have already stated. I am of the firm opinion that till the Urban Land Ceiling Act is scrapped, the purpose of nationalisation of these mills to generate funds by sale and transfer of surplus land will not be possible. With credibility of the Government so far as the management is concerned, the situation is going to be worse.

Almost all the mills managed by the NTC are running at loss and the accumuluated loss of the NTC as on 31.3.94 amounted to Rs. 3,652.64 crores. In this situation, it is very much doubtful whether the NTC would be in a position to implement the revival package effectively with its past record and allegations of all sorts.

I would like to refer to some questions. There was one Unstarred Question, No. 1060, in Rajya Sabha. The question asked was about the number of textile mills that had fallen sick in the country State-wise as on the 30th of September, 1994. As many as 275 mills were mentioned in the reply.

Again, a question was asked whether the Government would propose to revive some of these units, and, if, so why. The reply was that the matter has been referred to the BIFR.

What has happened in this case? In this case, the Government is now going to nationalise the mills. Has the matter been referred to the BIFR?

The question is whether the matter has been referred to the BIFR. The matters has not been referred to the BIFR.

I would also like to draw the attention of the Government that in Uttar Pradesh, specially in Kanpur, the Swadesh Cotton Mills, Atherton cotton Mill Ltd. are situated on Nazul land. Now the lease for these Nazul land had already come to an end in 1994. Now, the ownership of the land vests with the Government. It is not with the Mills at all. As per the new rules, 25 per cent of the market value has to be paid to make the land free, provided there is no violation of the original lease agreement. In case there is any violation, then double the price of the market value has to be paid. If the cost of those land and buidlings is Rs. 100 crores, you have to desposit Rs. 200 crores to make it free, beacuse those lands and buildings do not belong to the Mills today. as per the Act made out during Mr. Mulayam Singh's Government, the Nazul period has expired and they have not been renewed. This is the case. All these lands and buildings belong to the UP Government. I do not think any care has been taken to discuss the matter with the State Government. It would not be out of place to mention here that winding up or liquidation will take decades, if we go by the findings of the Goswami Commitee, the proposed revival package aimed at rehabilitation and modernisation of the mills. I, therefore, demand that specific measures must be included in the Bill so that the Mills taken over can be rehabilitated without any further loss of time.

I would only like to mention that I am not against the nationalisation, but I am very doubtful if the present Bills will in any way help in improving the mills. The same view has been given by all the leading papers, like the Financial Express, Economic Times, Pioneer, the Hidnu etc.

In the end I would like to quote the Goswami Committee Report, which says: "The purpose of restructuring should be to take the impending sickness rather than to give injection to a person, when he is almost dead." I strongly feel that the present Bill is an injection in the same direction.

SHRI PRAGADA KOTAIAH (Andhra Pradesh): Mr. Chairman, Sir, at the outset I congratualate the Minister of Textiles for taking a bold decision to release Rs. 2,000 crores by selling away

surplus lands and assets of the nationalised textile mills to modernise 79 mills and to ensure employment to about one lakhs workers. That is why I am supporting the Bill. I know full well that the earlier nationalisation of 109 textile mills in the year 1974 and 1983 did not go well under the mismangement of the NTC administration. Now there is a need to restructure the NTC administration to ensure the active and immediate implementation of the nationalisation process. Our friends were stating that several problems may corp up in implementing the decision of the Union Minister of Textiles to sell away the lands, realise the money, modernise the mills and ensure employment to about one lakh workers, who are now in the mills. Though I am a layman and I am not an advocate, and know nothing about the law, I do submit that all the matters mentioned by our friends from the Opposition are administrative matters. The Government can certainly look into all those problem whether land ceilings will come in the way, or market value will come in the way, or basic value will come in the way. All those things are matters concerning the administration and the administration must be competent enough to tide over all those difficulties and come to the conclusion of realising the money, modernising the mills and ensuring employment to workers who are already working in the mills.

I know that the Government have nationalised 109 mills in 1974 and 1983. Subsequently, 15 mills of Bombay and Kanpur have been taken over by the Government, but they were not a nationalised. Already 18 non-viable mills have been merged with viable units and four mills are having only scrap and, therefore, they are closed. Now, the number of mills under the NTC is only 102. Out of 102 mills, 23 mills are actually in working condition in Tamil Nadu and Pondicherry. There is no need to modernise them. Therefore, only the remaining 79 mills are to be modernised with the funds that are going to be raised by selling away the lands and assets of these mills.

What sort of modernisation are we going to have? The Minister was mentioning that the Government had spent more than Rs. 4,000 crores for the revival and modernisation of mills under the NTC, but without no benefit because today most of the mills have been closed down. The reasons advanced by the Ministry are inadequate working capital and inadequate modernisation. We are not going to accept these reasons. The new words "inadequate modernisation and inadequate working capital" have been coined by the Ministry. How can there be any inadequate modernisation? Modernsation of mills means, the old machinery to be taken away and new machinery will have to be installed. The performance of the Ministry has to be improved and employment should be provided to all workers. That is called modernisation. Now, after spending Rs. 550 crores on modernisation, the Minister comes forward and says that 100 mills under the NTC are not working because of inadequate modernisation and inadequate working capital. I am not able to understand as to why these are being taken over and why these mills are being nationalised. The Government has done this to see that the mills work successfully. Is it not the responsibility of the Government to find adequate working capital to enable the management to work successfully? Therefore, I cannot accept the reasons of inadequate working capital and inadequate modernisation for the failure of the mills under the NTC. Mismanagement of the NTC administration is entirely responsible for the woeful state of the textile mills under the NTC.

Now, the installed capacity of spindles in the mills is 32,15,891. After modernisation, the spindles will go down to 27,59,734. There are 33,332 looms now. After modernisation, they will go

down to 6,654. Then the capacity of the processing units in all the mills put together is 13,17,000 metres a day. But, after modernisation, the capacity of the processing units will go down to 6,88,250. Then, ultimately, coming to labour, the workers in the mills are about 1,20,000 in number. After modernisation, the workers strength will go down to 93,160. There will be a surplus of 26,840 in labour. The Government may say that they can go in to for VRS, Voluntary Retirement Scheme. Suppose they do not like to take voluntary retirement. Then they are to be retrenched. Retrenchment means that several concessions, several facilities, will have to be made available to them. But there is no money. Therefore, they have to continue under the existing circumstances. That is, 26,840 workers, after modernisation, will have to continue in the mills as surplus workers. That means the cost of production of the products will go high. Therefore, the Government will have to find a way out. That means they have to increase the spindlage; they have to increase the loomage; they have to increase the capacity of the processing units and see that these 26,840 workers are also given regular employment in the mills. They should not be a burden upon the mills. I suggest to the Minister that they should not be a burden.

Coming to the reeling section, the NTC mills are not exempted from the Hank Yarn Obligation Order. Any producer of yarn shall deliver hank yarn to the extent of 50 per cent of their marketable output. During modernisation what is it that they have done regarding the reeling section? How many cone-winding machines are there? How many reeling machines are there? Have the Government and research institutions kept in their mind the Hank Yarn Obligation Order to see that the cone-winding machines are reduced and reeling machines are established to enable the mills deliver 50 per cent of hank yarn of their marketable output?

Coming to my last point, Sir, the growing incidence of sickness and closure of organised textile mills has been a matter of great concern. One main reason for such sickness is the structuaral transformation resulting in the composite units in the organised sector losing out to powerlooms in the decentralised sector. Now the structure of powerlooms which are outside the mills are entirely responsible for the growing sickness of the textile mills. They themselves have pointed out that in 1985, there were 2,10,000 looms in the composite mills. Then the production of cloth in the mills was 5,000 million metres and today, the looms have declined to 1,50,000. And only 54 per cent of them are working. The cloth production in the composite textiles mills has gone down from 5,000 million metres to 1,875 million metres. Therefore, realising that the powerlooms outside the mills are responsible for the growing sickness of the textile mills in the country, apart from killing the handlooms, why is the Government not reviving the Textile policy? Have a clear-cut policy to see that the textile mills work, the handlooms work and the powerlooms work. That is not there. Therefore, that is an important point to be taken up by the Government. With these words, I conclude my speech.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you. Shri shankar Dayal Singh. Mr. Kotaiah made very good points. The Minister has to reply to all those points.

श्री शंकर दयाल सिंह (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत कम समय लेना चाहता हूं मंत्री महोदय का। जब इन कपड़ा मिलों का राष्ट्रीयकरण किया गया था तो यह कहा गया था कि ये रुग्ण, बीमार कपड़ा मिलें है और उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए सरकार इनका अधिग्रहण कर रही है। मंत्री महोदय को याद होगा उस समय हम लोग दूसरे सदन के सदस्य हुआ करते थे और जब इसके लिए सदन में बिल पेश किया गया था 1974 में, जहां तक मुझे याद है, मैंने उस पर भाषण देते हुए यह कहा था कि इन बीमार मिलों का सरकार क्यों अधिग्रहण कर रही है, हर काम स्वस्थ्य रूप से किया जाता है, फिर बीमार की सेवा

कितने दिनों तक की जाएगी और सरकार इन पर इतना पैसा क्यों खर्च करने जा रही है, इनके अधिग्रहण पर? जहां तक मुझे याद है, तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस पर उठकर कहा था कि यह कम्पन्सेशन देने की बात तो है नहीं, हम चाहते हैं कि इतने लोग जो बेरोजगार हो जाएंगे, कम से कम उनकी स्थिति में सुधार आए। खैर, इन बीमार मिलों का अधिग्रहण किया गया, 20 साल से अधिक हो गए हैं। मैं सरकार से सीधे तौर से जानना चाहता हूं कि आखिर दवा-इंजेक्शन देने से कभी-कभी बीमार भी स्वसथय हो जाता है, प्रसत्र हो जाता है, भला-चंगा हो जाता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने इतना रुपया इसमें खर्च कर दिया, अरबों, लेकिन कितनी मिलें, जो बीमार थीं, उनको आपने स्वस्थ किया और कितनी ऐसी मिलें अभी आपके पास हैं जो कि पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, प्रसत्र है, दौड़ सकती है, चल सकती है दुधारू गाय की तरह? इसलिए कि अखबारों के माध्यम से और जब तक यहां भी आता है कि इनके लिए इतने करोड़ रुपयों का प्रोविज़न किया गया है। उपसभाध्यक्ष जी, यह ठीक है कि मैं विपक्ष में बैठता हूं लेकिन मैं केवल आलोचना करने का बहुत आदी नहीं हूं, अच्छाइयों की ओर भी मेरी नज़र चली जाती है। कभी-कभी मेरे मित्र मुझसे बिगड़ भी जाते हैं कि आप अच्छाई की बात कैसे इधर बैठकर बोल देते हैं। तो कुछ अच्छाई जरूर हुई। अच्छाई यह हुई कि ये मिले बंद हो जाती, आज चल रही हैं। लोग लाखों की संख्या में बेरोजगार हो जाते, आज उनको रोजगार मिल रहा है। तीसरी बात यह है कि आपकी सम्पत्ति का बिखराव हो जाता, सम्पत्ति बंट जाती, खत्म हो जाती, जैसे डी० सी० एम० वगैरह का हुआ। तो कम से कम सरकार ने जब अधिग्रहण किया तो वह सम्पत्ति रह गई, यह अच्छी बात है और इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री इकबाल सिंह: अच्छे आदमी अच्छाई को ही देखते हैं।

श्री एस० एस० सुरजेवाला: आप पुराने कांग्रेस के नेता रहे हैं, इसलिए आप अच्छे आदमी हैं।

श्री शंकर दयाल सिंह: मंत्री महोदय भी वैसे भले आदमी हैं और मेरे मित्र हैं।

तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से दो-तीन बातें जानना चाहता हूं जिनकी ओर रह-रह कर मेरा ध्यान जाता है, वह यह है कि एक अभी आप जो मंशा बना रहे हैं कि जो मिलें हैं, 205 या जितना भी उनकी संख्या है जो आपके अधीन हैं तो उनके घाटे को या उनकी बीमारी को दूर करने के लिए आप उनकी सम्पत्ति को बेचकर मान लीजिए कि सरकार आपको पैसा नहीं दे रही, तो उनकी सम्पत्ति को ही बेचकर जमीन जो आपके पास फाज़िल है, उसको बेचकर आप ठीक करेंगे, यह आप प्रोविजन लाना चाहते हैं..... और आपकी मंशा है जो साफ हो रही है हमारे सामने, मैं जानना चाहता हूं कि वह जो बंदर बाट होगा उसका नतीजा क्या होगा? क्या सरकार इस बात की गारंटी देने के लिए तैयार है जो सम्पत्ति अभी उन मिलों के पास है, उन सम्पत्ति को बेचकर आप जो अर्जन करेंगे उसके बाद क्या उनमें पूर्णतया सुधार आ जाएगा? मैं समझता हूं कि शायद ऐसा नहीं हो सकेगा। तो मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं अपनी ओर से बहुत पॉजिटिव वे में कि जितनी भी पुराने दिनों की मिलें है आप उनके नवीनीकरण की मंशा में मत रहिए। जहां पर पुराने तरीके की मशीनें लगी हुई हैं उनको आप बिल्कुल रिप्लेस कर दीजिए, हटा दीजिए जो क्षमता आपके यहां कानपुर के बंद मिल की है या बम्बई के किसी बंद मिल की है, साउथ की बात नहीं कर रहा हूं। उपसभाध्यक्ष जी, मैं वहां की इसलिए बात नहीं कर रहा हूं, अपेक्षाकृत मैंने यह देखा है कि दक्षिण की जो मिलें है वह कुछ अच्छे ढंग से चल रही हैं। चाहे वह कर्नाटक की हों, मद्रास की हों, केरल की हों। इन सब मिलों का संचालन अच्छे ढंग से हो रहा है। लेकिन ज्यों ही हम इस ओर आते हैं चाहे वह राजस्थान तक चले जाएं, उत्तर प्रदेश से लेकर के वहां तक आपकी मिलों का संचालन ठीक से नहीं हो रहा है। तो उसके लिए तीन बातों की ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। —(समय की घंटी)—

उपसभाध्यक्ष जी, 22 मिनट का मेरा समय है। आपके घंटी बजाने से मैं नहीं बैठ रहा हूं। अभी तो 8 मिनट भी हमने नहीं लिया। अगर आप घंटा बजा देंगे तो मैं 32 मिनट तक जरूर बोलूंगा। इसलिए मेरी बात पहले पूरी हो जाने दीजिए। मैं जानता हूं...(व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I want you to be very brief.

SHRI SHANKAR DAYAL SINGH: For other parties you have allotted 22 minutes. I have gone through that, but I want to finish my own subject-matter within ten or fifteen mimutes. Don't worry at all.

तो मेरा आपसे यह कहना है कि तीन बातों की ओर ध्यान दीजिए। पहला तो है कि नवीनीकरण करने की जो

बात चल रही है उसमें लेटेस्ट मॉडल की मशीनें आप बैठाइए। आपकी दस मिलों की मशीनें जितना उत्पादन का कार्य नहीं करती है, साउथ कोरिया की एक मशीन इतने उत्पादन का कार्य करती है और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहला नवीनीकरण आप इस रूप में कीजिए। दूसरी बात—प्रबंधन की है, जिसके बारे में माथुर साहब और दूसरे लोगों ने भी आशंका व्यक्त की और आपने खुद भी स्वीकार किया है और कहा है कि प्रबंधन का अर्थ राष्ट्रीयकरण के बाद बदल कर उत्पादन से ज्यादा अपने लाभ में सीमित हो जाता है। माफ करेंगे, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो मिलें थी उनका मालिक एक था। तो एक मिल मालिक सब कुछ कर लेता था। यहां आपके अनेक अधिकारी रहते हैं, प्रबंध के लोग रहते हैं सब के सब मालिक हैं और सब का अपना-अपना काम है, सब का अपना-अपना करिश्मा है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन आप प्रबंधन ठीक किजिए, यह मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं। उसमें एक्सपर्ट रूप में कीजिए, मेनेजमेंट के लोगों को लेकर कीजिए।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्पादन के साथ जब तक आप उसके खपत की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक आपका काम ठीक से नहीं चलेगा। कुछ मिलें ऐसी हैं जिनके बारे में मैंने प्रश्न किया था और आपका उत्तर मिला, जहां आपका करोड़-करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हुआ है और बिक नहीं रहा है। तो आप उत्पादन के साथ-साथ जब तक उनके विक्रय की व्यवस्था नहीं करते हैं तो आपका पैसा तो वैसे ही पड़ा हुआ है। मैं आपसे इसके लिए यह कहना चाहता हूं कि मंत्री महोदय जी, आप बिल्कुल बांध लीजिए कि हम चार तरह का उत्पादन करेंगे, पांचवे उत्पादन में नहीं जाएंगे। क्यों आप उतने में जाते है? एक समय था जब सोवियत संघ में 4 तरह के कपड़े बनते थे। चाहे ड्राईवर हो या राष्ट्रपति हो, बस उसी कपड़े को पहनते थे। हमारा सौभाग्य है कि हमको बाहर से कपड़ा आयात नहीं करना पड़ता है, हम स्वयं निर्यात करते है। आपने मेरे प्रश्न के उत्तर में यहां पर एक अगस्त, 95 को जवाब दिया जिसमें 1994-95 के दौरान एन० टी० सी० के मिलों के फेरिब के निर्यात की फिगर आपने 47.6 दी है। 47 करोड़ रुपया आपने दिया है। मार्केटिंग कहां आपने की है?

जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, बेल्जियम में, यू० के० में तथा यू० एस० ए० में। इससे साफ जाहिर होता है कि जो दुनिया के बड़े मुल्क हैं जो पूर्णतया विकसित हैं, दि मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज जो दुनिया के हैं, वहां भी आपके माल की मांग है, उनको जरूरत है तो आप केवल चार तरह का उत्पादन कीजिए और चार तरह का जो उत्पादन कीजिए, खपत की जो आप व्यवस्था कीजिए तो सबसे पहले सरकारी उपक्रमों को पकड़िए, रेलवे को पकड़िए, सरकार से बड़ा कंज्यूमर कौन है? हर जगह जब हम लोग उपक्रमों में जाते हैं, आजकल यह हो गया है कि उपक्रम में सब लोगों को एक तरह का कपड़ा दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि आपसे लोग खरीदते हैं या बाहर से लोग खरीदते हैं लेकिन आपको वह ठीक करना पड़ेगा।

उपसभाध्यक्ष जी, जिन उद्देश्यों को ले करके इन मिलों को नेशनलाइज़ किया गया था, राष्ट्रीयकृत किया गया था, उनमें सबसे बड़ी बात यह थी कि हम बेरोज़गार को रोज़गार दे लेकिन जो नीति है भारत सरकार की, उसमें ऐसा हुआ कि गोल्डन शेकहैंड करके लोग एकमुश्त पैसा ले ले और एकमुश्त पैसा ले करके उनका विदाई समारोह हो जाए और वे चले जाएं। नए आदमियों को तो आप बहाल ही नहीं कर रहे हैं। तो पुरानी मिल, पुराने लोग, बेचारे थके हुए, हारे हुए निराश, उनकी आंखों को देखिए तो रोलाई आ जाएगी, निराशा ही निराशा उनकी आंखों में भरी हुई है। तो हम यह चाहते हैं कि जब नया रूप आप उन मिलों को देंगे, नई मशीनों के द्वारा, नए प्रबंधन के द्वारा तो नए लोगों को आप उसमें ले आइए तब उसका एक असर आपको पड़ेगा। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं कि आपने यह जो बिल लाया है यहां पर, मैं उसमें बहुत नहीं जाना चाहता हूं इसलिए कि बहुत भाषण देने के बाद अंत में तो हम लोग आपकी बात मान लेंगे और मेज थपथपा कर पास कर देंगे लेकिन हम आपसे यह कहना चाहते है कि आपके मन में अगर मजदूरों के लिए दर्द है और सब कुछ है तो एक आप नई शेप इसको दीजिए। आपका नाम इसमें वेंकटस्वामी जी हो जाएगा। आप मजदूरों के हितों की भी रक्षा करते रहे हैं और सच में आपको जानकारी रही है, मैं इस बात को जानता हूं। अगर आपने बीच में ही छोड़ दिया, सबसे बड़ा तो आपको मौका मिला कि पांच साल से आप कम से कम मंत्री तो इसके हैं और भगवान का आप के ऊपर कितना बड़ा आशीर्वाद रहा कि दूसरे लोग जहां राज्य मंत्री के ही राज्य मंत्री हैं, आप केबिनेट स्तर के मंत्री हो गए। देखिए, कितनी बड़ी इजत बच गई आपकी। तो आप एक नई शेप इसको दीजिए। यह राष्ट्रीयता का भी परिचायक है और राष्ट्रीय उत्पादन जो कुछ भी होता है, वह किसी एक व्यक्ति का नहीं होता, सरकार का नहीं होता, पूरे राष्ट्र का होता है। इन्हीं शब्दों

के साथ मैं आशा करता हूं कि जो सुझाव मैंने आपको इस संबंध में दिए हैं, उन सुझावों को आप मानेंगे। उपसभाध्यक्ष जी, बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI JIBON ROY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I support both these Bills subject to the acceptance of my amendments and subject to a little bit of reservation. Most of the amendments, which I advanced, are of a nominal nature. Considering the spirit and intention of the Bills, I believe and hope that the hon. Minister will accept them.

Before I go to my reservations, I must appreciate the hon. Minister for taking pains, creating the ground, for preparing these two Bills. I believe, considering the tenacity with which he repepared these Bills, he will see to it that the provisions of these Bills are pursued and implemented and that these legislations are not used for any other interest than for protecting the interests of the industry, the people and the workers and they are not misused. I am happy that the Government has decided to nationalise and take over the mills. It is necessary for modernisation. Both are interlinked. If, on the one side, you take a position that you want modernisation and, on the other, you say, "No nationalisation", then it is counterproductive. Both are interlinked, modernisation and nationalisation.

I can understand that it is necesrary. Modernisation is necessary to protect employment, to meet the export requirement. I hope that exports would increase in the near future. If I am not worng, the export component of cloth is 40 per cent of the total exports. It was also necessary for meeting the cloth requirement of the masses.

I am not happy and nobody can be happy with the disposal of the fixed assets, plant and machinery and other things. The Government should take extreme caution and see to it that this right which is conferred on the Government is not misused in any way. As my esteemed colleague has suggested, you should not dispose of all the machinery at the same time. When you are going in for modernisation, you are taking the line of disposal. Extreme caution has to be taken otherwise, it will create an apprehension in the minds of workers that after disposing of all the machienry there will be no modernisation. Therefore, great caution is required.

Secondly, I wish to draw your attention to the report of the Standing Committee. It is mentioned in report of the Standing Committee that there is an urgent need to streamline the tripartite machinery from the Central level to the shop-floor level; otherwise, I am afraid, this legislation will not be translated into practice. So many intricacies are there, i.e. disposal of the land, selling of assets and repayment of credits. For the last four or five years, a campaign is going on against the social sector. It has blown up. You have to walk against that wind. Therefore, in totality improving the functioning of the tripartite machinery at the apex level, specially at the shop floor level, is an urgent necessity. The Govenment, the management and the trade unions should work in unison. So far as workers are concerned, I would request the hon. Minister to remember that this modernisation programme is being taken up not to ruin the workers. In the textile industry the strength of workers has gone down from 15 lakhs to 11 lakhs. So far as the NTC mill is concerned, the worker's strength has gone down from 2.5 lakhs to one lakh. The workers have no capacity to sustain themselves. That is why they are actually accepting the question of disposing of the assets. It is the duty of the Government to allay the apprehensions in the minds of the workers. The first apprehension of the workes is that they may be dismissed or retrenched. The Ministry officials have already deposed before the Standing Committee that nobody would be dismissed. I request you to make a solemn assurance in this august House that nobody would be dismissed.

Secondly, there is another apprehension in the minds of the workers that while amalgamating a number of mills together the workers will be transferrd from one place to another place. In that case they would lose the service continuity. I want you to assure the House that there would be no discontinuity in service.There are complaints that about 10,000 workers have not received pension, gratuity and retirement benefits. If there is any dispute in this regard, I would request you to look into that. Sir, the need for streamlining the management is also very important.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please conclude.

SHRI JIBON ROY: Sir, I am not making a speech. I am only making points. Kindly give me some more time. So far as the management is concerned, there is an urgent need to streamline the management. During the last two decades, after the nationalisation, taking over, the NTC mills have made a total loss of Rs. 3,900 crores.

8.00 PM

There has been no modernisation. There has been no raising of the production capacity. That was partly becuasc there was no wisdom in the Government to do so and partly it was becuase of the managerial lapses. Now, many of our good officials and technicians have left the N.T.C. and joined the private sector companies. You have to compete with the foreign companies and also the Indian barons like the Mafatlal Century, etc. Therefore, streamlining of the management is most important thing. Earlier there was the practice that only spinning was being done in the N.T.C mills and for weaving they used to go to the powerlooms, as the other big companies were doing. I feel that we should be done in the N.T.C. mills. So far as the suppliers' credit is concerned, I do not reject it totally. Probably, since the Government is not going to give the budgetary support, you may have to give the suppliers, the credit. But, at the same time, I hope that you will take care of that wherever indigineous industries are there. Our industuries are manufacturing textile machinery. The first chance should be given to them.

So far as sale of land is concerned, it is a sensitive subject. I have seen your calculations wherein you have estimated that you will get Rs. 700/- crores out of that. And, for proper Bombay, the price fixed is rupees three croes per acre. This is as I have seen it and I am subject to correction. Now, in the "New York Times" it has appeared that amongst all the urban towns in the world, during the last five years, the prices of land have gone up the higest in Bombay. The price in white money is 1/3rd of the price in black money. You should consider the price in white money only and you should take care that black money doesn't go anywhere. The actual price should be taken into consideration for the sale of the land..(*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Thank you, Mr. Jibon Roy...(*Interruptions*)

SHRI JIBON ROY: Lastly, Sir, after so much of investment and sacrifice on the part of the workers, you are modernising the mills. I want an assurance that after modernisation, you will not denationalise it and that you will not hand it over again to the private sector simply because the wind of privatisation is blowing now. That assurance is required. Thank you, Sir, and I hope you will accept my amendment.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): There is an announcement. Dinner has been arranged for hon. Members, the Press and the staff in Room Nos. 70 and 73 from 8.30 p.m. onwards, because we are setting a little late today, Shri Chaturanan Mishra, please.

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): उपसभाध्यक्ष, महोदय, मैं इस बात को जानता हूं कि आर्डिनेंस लाने में

औचित्य की कमी थी। लेकिन इतने पर भी मैं इस आर्डिनेंस का भी समर्थन करता हूं और जो बिल मंत्री द्वारा लाया गया है, उसका भी समर्थन करता हूं क्योंकि कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं था, इतने मजदूरों की नौकरी बचाने के लिए, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भारत सरकार विश्व बैंक के दबाव के कारण और विदेशियों के दबाव के कारण सही रास्ता नहीं अपना रही थी। इसमें हम देखते हैं कि यही इंडियन वे होगा, रीस्ट्रचरिंग आफ अवर एकानामी, अगर आप अच्छी तरह से चलें। मैं लेबर मिनिस्टर, टैक्सटाईल मिनिस्टर और ट्रेड यूनियन कन्सर्न, जिन्होंने टाइपार्टाइट कमेटी के जरिए यह सुझाव दिया, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। मेरा ख्याल है कि हमारे देश में जहां पब्लिक सेक्टर में ज्यादा पूंजी लगी हुई है अगर हम इस देश का निर्माण करना चाहते हैं तो इसे नये तरीके से करना होगा। लेकिन इसमें टाइम इतना नहीं लगना चाहिए।

दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहूंगा वह यह है हमको गहरा शक है कि यह काम तो सक्सेसफुली मंत्री महोदय कर लेंगे, हम लोग हाउस में उनके साथ हैं। लेकिन अगला काम मंत्री महोदय नहीं कर सकेंगे। इसलिए मैं उनको वार्न करता हूं इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि यह ठीक ढंग से काम करें।

मोनिटर कैसा होता है। आज के अखबारों में आया है। 54 per cent hike in mega projects alarms planners.

"According to the Planning Commission sources, 22 projects, out of 33 mega projects in the public sector, costing Rs. 1,000/- crores and above, are running behind schedule and the cost of these 22 projects and escalated from their latest approved cost of Rs. 30,000 odd crores to Rs. 52,000 crores."

अगर यह डिले होगा मंत्री महोदय तो आपके केस में delay means death. क्योंकि आपको सरकार बजट से रुपया नहीं देने जा रही है, कोई दूसरा भी नहीं देगा इसलिए सारी मेहनत हम लोगों की उठा कर चले जाएंगें अगर आप सही ढंग से इसको नहीं करते। आपकी एन०टी०सी० में बहुत करप्शन है। बहुत भोजन-भाव पहले हो चुका है। मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूं। आप कोई रास्ता निकालिये। पहली तो बात तो यह है कि हम आप से कहेंगे कि जो जमीन आप बेचेगें वह ऑक्शन कीजिये। गवर्नमेंट हो सके तो कह दे कि ब्लैक हो या व्हाइट हो जिससे ज्यादा रुपया मिले वह रुपया आपके पास आना चाहिये।। गंगा जल से धो-धो कर अगर रुपया लीजियेगा तो वह बात होगी नहीं और मंत्री महोदय आप बादनाम हो जाइयेगा। मैं अभी कह देता हूं कि जितनी जमीन आप बेचेंगे हम लोग यहां से सवाल उठायेंगे कि वहां पर यह रेट था और आपसे इतने में बेच दिया (व्यवधान)

हमने तो आपको बता दिया है कि ट्रांसपेरेसी कीजिये, ऑक्शन से कर लीजिये, सारी दुनियां जाना जाएगी। हम कह रहे हैं कि अगर ब्लैक मनी वाले को देना चाहते है तो कहिये फाइनेंस मिनिस्टर को कि वह भी अलाऊ कर दें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा संचय कर सकें। हमें कोई एतराज नहीं है।

So, first I want transparency.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Why do you want the Minister to commit mistakes? *...Interruptions)...*

SHRI CHATURANAN MISHRA: Sir, I don't say that he is taking black money. That is not my case. My case is that I am quite sure that he will be invovled in that. His officers may do it and from this side we will say they are dishonest and all these things, and then, you, not me, will stand up from there to defend the Government; that I also know. So, knowing all these things, I forewarn him.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः ठीक कह रहे हैं ब्लैक मनी खुल्लमखुल्ला लो।

श्री चतुरानन मिश्रः जो कुछ करना है आप ऑक्शन से करो, बेचो और पैसा आएगा सरकारी खजाने से।

Let all the black money come to the Government treasury. I have no objection.

श्री शंकर दयाल सिंहः जल्दी कीजिये मिश्र जी, मंत्री महोदय का ध्यान हैदराबाद में लगा हुआ है (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्रः आपका भी और हमारा भी ध्यान हैदराबाद में है। सिर्फ माथुर साहब खुश है और तो कोई खुश नहीं होगा। मैं कहा रहा था transparency is the first thing and action through sale. Thirdly, there should be

joint management of workers and the management. Now, you introduce a new system.

My next point will be, Sir, that the public sector can exist in India only if it is competitive. This message must go to the workers and the management that is the public sector has to exist and, I think. it should exist, it must be competitive, both in quality, management, prices and all these things. And it must contribute something to the public exchequer. If they don't contribute, then how can we fight poverty? Just tell me. From where should we get the money? So, this new outlook must be there and I would like the Minister to impart this new feeling to his workers, to the trade union leaders and discuss with them.

Now, my last point is that to change this attitude, a new situation has to come in our country with globalisation and for that not only the workers but also the industry and the Government should co-operate, interact with each other and then only we can face the multinationals. I know full well that new things are taking place in this country, Sir, as you know, during the days of Gandhiji, I was a small boy taking part in picketing and all those things, there was a time when Manchester cloth was coming to India and at that time Gandhiji's slogan was "boycott that cloth." Now, what is happening? Bombay textiles are going to Manchester. This is quite a different situation. Now, a new thing will come up that after NAFTA, USA and Maxico have joined the market, as you know, in Canada. ..and from there the cloth will come and cheaper cloth will go because of the high technology and so many other things. But, Mr. Minister, I want remind you that your labour cost if highly competitive. It is less than one-fifth of what the Americans are paying compared to the developed countries. This is strictly in your hands and honesty being there, we are sure to succeed. This I have to tell you and request you please do not go into the trap of the corrupt officials, otherwise, you are sure to be blamed and I am sure to raise this question here.'

(ENDS)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now the Minister will reply.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः मेरा अधिकार है।

श्री जी-वेंकटस्वामीः आपका तो हो गया।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANSAMY): You have already made very good points.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः देखिए मेरी पार्टी के लिए 45 मिनट थे जिसमें से 20 ही लिए हैं और मेरा टाइम अलग होता है। जो मूवर है उसकी बात अलग होती है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Okay, but be brief.

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः मैं दो तीन बातें कहूंगा। मैं समझता हूं कि मेरी बात सुन ले फिर मंत्री जी जवाब दें।

मैंने सारी डिबेट को बड़े ध्यान से सुना है और जो मेरे विपक्ष के लोगों ने बातें कही हैं वे सही हैं। मैं फिर आग्रह करूंगा कि मेरे सहयोगी जीवन राय ने जो अमेंडमेंट दिए हैं उनको स्वीकार किया जाना चाहिए और स्वीकार अगर न करने की स्थित में हों, औपचारिक दृष्टि से तो उनको आश्वासन दें कि हम मजदूरों के हित की जो बातें हैं उनको स्वीकार करेंगे।

मैं दो-तीन बातें और ध्यान में लाना चाहता हूं। खतरा यह है कि जमीन बेंचते समय आप ग्लोबल टेंडर तो नहीं करेंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी): माथुर जी, **एक मिनट।** I would request Shri Shankar Dayal Singhji, if the House agrees, to occupy the Chair.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Do you want to be relieved?

The Vice-Chairman (Shri Shankar Dayal Singh) in the Chair

वे बहुत देर से बैठे हैं। बीच में एकाध चक्कर लगा आए ...(**व्यवधान**) आप तो ताजा बैठे हैं इसलिए कुछ तकलीफ नहीं होगी।

तो ग्लोबल टेंडर को संभावना है। खासतौर से जो बम्बई की जमीनें हैं...(**व्यवधान**) जैसा मैंने कहा था कि 50-60 हजार रुपए प्रति स्कवायर फुट की उनकी कीमत सेंट्रल बम्बई में है। इसलिए इससे अगर आप करेंगे तो आपको कितने हजार करोड़ रुपए मिलेंगे। यह संदेह हो रहा है कि आप ग्लोबल टेंडर्स मंगाएंगे और जो विदेशी कंपनियां हैं, विदेशी लोग हैं, अगर ये जमीनें खरीदेंगे तो वहां क्या उनका उपयोग होगा? पता नहीं है। तो मैं इसका स्पष्टीकरण भी चाहूंगा कि आप अगर ग्लोबल टेंडर करेंगे तो क्या जमीनों के उपयोग के लिए कोई बंधन होगा। वहां होटल बना देंगे, कुछ भी बना देंगे, क्या करेंगे। इसकी मुझे आपसे एक प्रकार से जानकारी चाहिए। फिर जो बेंचेंगे उसकी पद्धति क्या होगी। जहां तक समाचार पत्रों की रिपोर्ट है उनसे पता चलता है कि आपने यह सोचा है कि दो कमेटियां बनाएंगे। एक कमेटी जमीन को बेंचने के लिए होगी और दूसरी साज सामान को माल को खरीदने के लिए होगी। तो बेंचने वाली कमेटी को कौन हैंडिल करेगा? शायद आप यह चाहते हैं, मैं समाचार पत्रों के आधार पर ही बोल रहा हूं कि आप पहले जमीन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है उनको दे देंगें और वे बेंचने का काम करेंगे। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कौन से होंगे। यह भी एक ट्रस्ट होगा या कोई बैंक होगा? कौन होगा? इसका एक पैटर्न दीजिए कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स बेंचते समय खुद ही घपला न करें। ये भी वहा घपला करेंगे तो जैसे मेरे सब सहयोगियों ने कहा कि वह बुहत बड़ी चीज होगी क्योंकि यह कितने हजार करोड़ रुपए का पैसा आएगा।

एक और मुझे संदेह हो रहा है। इस बिल में आपने कहा है—

"Provided that proceeds of no such mortgage, transfer, sale and disposal shall be utilised for any purposes other than those sanctioned by the Central Government."

जाहिर है बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की अनुमति होगी। इसका अर्थ यह है कि आप कपड़ा उद्योग से बाहर भी किसी काम में इस्तेमाल करने का इरादा रखते हैं। क्या बजेटरी डिफिसिट को पूरा करने के लिए पैसा दिया जाएगा। आपने किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की सेल करने के लिए कह दिया। सेल करके पैसा उनके पास आ गया। तो आकर कहां जाएगा। व्हेयर इट विल गो? यह मैं आश्वासन चाहूंगा कि यद्यपि आपने कहा कि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का है। ठीक है यानी एन०टी०सी० स्वतंत्र न हो जाए। बात समझ में आती है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यह वादा होना चाहिए कि वह कपड़ा उद्योग के अलावा यह जो करोड़ों रुपया है उसका उपयोग नहीं करेंगे। वरना बजट में डाल दिया और डेफीसिट पूरा करने को पूरा कर दिया। तो लिहाजा ये दो-तीन बातों पर मैं स्पष्टीकरण चाहूंगा। नंबर एक, आपका बेंचने का तरीका क्या होगा? आप क्या ग्लोबल टेंडर्स बुलाएंगे? तीसरे, उस जमीन के उपयोग करने का क्या तरीका होगा? इस पर कोई बंधन होगा या नहीं होगा? और यह आश्वासन कि वह पैसा कपड़ा उद्योग में ही लगेगा अन्य किसी प्रकार से नहीं लगेगा ये चार-पांच बातें मैं और आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री जी० वेंकट स्वामी: उपसभाध्यक्ष जी, माथुर साहब ने पहला सवाल यह किया कि आपको आर्डिनेंस निकालने की क्यों जरूरत पड़ी और इतना जल्दबाजी क्यों किया, मैं उपसभाध्यक्ष जी, यहां एक जवाब दे देता हूं कि आर्डिनेंस इस वास्ते निकालना पड़ा कि बी०आई०एफ०आर० में केस था और फाईनल को था और उन लोगों ने आखिरी आर्डर दिया था कि अगर यह डेट के अंदर आप कोई प्रोपोज़ल सबमिट नहीं करेंगे तो हम इस केस को आपके खिलाफ करेंगे। हमको उसकी जल्दी थी बी०आई०एफ०आर० के सामने जाने के लिए, तो हमको आर्डिनेंस निकालना पड़ा और फिर आपके पास जाना पड़ा। इसके सिवाय और कोई जवाब नहीं है। अब मै आपसे कहता हूं उपसभाध्यक्ष जी, आप ही ने कहा था पांच साल हो गए, पांच साल नहीं हुए, मैं टैक्सटाइल में जनवरी 1993 में आया। आते ही मैंने वर्किंग क्लास को एनाउंस किया, एज़ ए ट्रेड यूनियन लीडर की हैसियत से कि ये सारे के सारे 122 मिल्स को कोआपरेटिव सोसायटी बनाकर आप लोग चलाइये। सारे ट्रेड यूनियन से मैंने अपील की तो सारे के सारे लोगों ने कहा कि यह नहीं हो सकता। हम नहीं चला सकते। 6 महीने इंतजार किया। फिर मैंने सोचा क्योंकि थोड़ा-बहुत तजुर्बा मुझे है टैक्सटाइल इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियन वर्किंग क्लास को लेकर आगे बढ़ने का, काम करने का, बोबिन से लेकर ब्लू रूम तक क्या है टैक्सटाइल इंडस्ट्री में यह मैं बोल सकता हूं और उस पर काफी चीजों की मालूमात आनरेबल मैंम्बर्स को दे सकता हूं। टी०आर०एज़० को हमने बुलाया कि इसको माडर्नाइज़ेशन करना है तो साइंटिफिक तरीके से करना है। इसलिए उपसभाध्यक्ष जी, मैंने टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशंस, चार हैं हिंदुस्तान में, अभी-अभी मिश्र साहब ने कहा, एक जमाना था हिन्दुस्तान को कपड़े के लिए कोट किया जाता था मानचेस्टर का, वहां पर भी मैंने जाकर देखा वहां का भी

टैक्सटाइल रिससर्च एसोसिएशन कुछ काम का नहीं रहा, मगर हमारे चार टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशंस जो बहुत ही, पूरी दुनिया में मशहूर हैं सिटरा, बिटरा, अटेरा एंड निपरा, इन चारो को मैंने उनको सुपुर्द किया, टैक्सटाइल मिनिस्टरी ने यह सोचा कि आखिर यह कब तक, ये जिस तरह से 3,900 करोड़ रुपया गवर्नमेंट आफ इंडिया का जा रहा है अगर इसी तरह से इसको चलाते जाएं तो और चलते ही रहेगा, नुकसान होता ही रहेगा। इस देश के बिलो पावर्टी लाइन के अंदर जो जिन्दगी गुजार रहे हैं उनके टैक्स को इन मिलों के ऊपर डालना पड़ेगा इसके लिए कोई रास्ता होना चाहिए। हमने टैक्सटाइल मिनिस्ट्री में बैठ कर यह रास्ता सोचा और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उसको अप्रूब किया कि हां, ठीक है यह रास्ता अख्तियार करो। फिर उसके बाद यह टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को बुलाकर हमने कहा आपको जो भी पैसा होता है रिसर्च के लिए इसको किस तरह से नया मिल बना सकते हैं, किस तरह से इसको प्रोडक्टिविटी के लिए और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड के लिए कपड़ा तैयार करने में आपको क्या-क्या मशीनरी की जरूरत है, क्या-क्या हम चेंजेज़ ला सकते हैं, आप हमको रिपोर्ट सबमिट कीजिए। उपसभाध्यक्ष जी, जून, 1993 में डेट याद रखिये माथुर साहब, जनवरी 1993 में मैं आया 6 महीने इंतजार किया, कोई ट्रेड यूनियन लीडर्स या फैक्ट्री के वर्कर्स कोई आएं और आकर यह संभालें। मगर यह कहना मुझे जरूरी होता है अगर गोविंदराव आदिक साहब अभी आर०एम०एम०एस० के प्रेसीडेंट हैं, तो सिर्फ डा० दत्ता सामंत ने दो मिलों के लिए लाया। मैंने कहा कि इसके लिए पार्लियामेंट में अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा और उसको बेंचने की परमीशन देनी पड़ेगी। फिर दो के लिए तो नहीं कर सकते। आप पूरे 122 के लिए लाइए, हम पार्लियामेंट के सामने ज़रूर जाएंगे। तो वह आए नहीं और सारे-के-सारे ट्रेड यूनियंस—बी०एम०एस०, आई०एन०टी०यू०सी०, सी०आई०टी०यू० और ए०आई०टी०यू०सी० सभी ने रिफ्यूज किया। हम कोई वर्कर्स कोआपरेटिव नहीं बनाएंगे। हम यह जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। तब मैंने टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन को बुलाया और उन के सुपुर्द किया। उन लोगों ने एक-एक मिल में जाकर रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद हमने सोचा कि यह बगैर ट्रेड यूनियन कोआपरेशन के यह मॉडर्नाइजेशन का काम नहीं चल सकता। मैंने लेबर मिनिस्टर साहब से रिक्वैस्ट की कि आप सेंट्रल ट्रेड यूनियंस को बुलाइये और एक ट्रायपर्टाइट कमेटी बनाइये। हम लोग मॉडर्नाइजेशन का प्लान और नक्शा उन के सामने रखेंगे और डिस्कस करेंगे। यह छः महीने तक चलता रहा। ट्रायपार्टाइट कमेटी में "मर्जर इज क्लोजर" पर काफी चर्चा हुई। फिर आखिर में कम्प्रोमाइज हुआ और उन्होंने फॉर्मूला दिया। महोदय, अभी शंकर दयाल सिंह जी, माथुर साहब और हमारे प्रागदा कोटैया जी—इन सारे माननीय सदस्यों ने सजेशन दिए, उसमें यह था कि किसी वर्कर को रिट्रेंच नहीं करें। हमारे जीवन राय जी का अमेंडमेंट भी है। ट्राइपार्टाइट कमेटी ने 8 वसूलों को तय किया। उसमें पहला उसूल यह है कि प्रावेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। दूसरा यह है कि वर्कर्स को नहीं निकालना चाहिए और जो प्रॉपर्टी है उसको बेच कर मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए। इस तरह से 8 प्रिंसिपल्स ट्रायपार्टाइट कमेटी ने दिए और उन्हीं प्रिंसिपल्स को लेकर हम आगे बढ़े जिनका मेन मकसद यह है कि 1 लाख 76 हजार वर्कर्स जो कि 122 मिल्स में काम करते हैं, उन को किसी तरह से हम बचा सकें। ट्रायपार्टाइज़ट कमेटी बॉम्बे, गुजरात और जहां-जहां भी गयी, उसने देखा कि एक सौ साल, एक सौ बीस साल, एक सौ तीस साल और एक सौ पचास साल पुरानी मशीनरी है जिसमें वर्कर्स काम नहीं कर सकता है, जिससे प्रोडक्टिविटी नहीं निकल सकती और सारे ट्रेड यूनियन लीडर्स कनविंस हुए कि इस मशीनरी को निकालकर फेंक दो। इस को बेंच डालो या कुछ करो, मगर नयी मशीनरी के साथ इसको मॉडर्नाइज करो। आप लोग भी जाकर देख सकते थे कि उन फैक्ट्रीज में क्या हालत है? उसे अगर आप एनवायरमेंटल व्यू से देखें तो पाएंगे कि वर्कर वहां किस तरह से "ब्लू रूम" में काम कर सकता है? उसको ब्लू रूम में 8 घंटे काम करना होता है। उसका क्या हाल होता है, यह मुझ से पूछिए। मैं बता सकता हूं या मेरे साथी जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं, वह बता सकते हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि उस मशीनरी को हटाने का मकसद हमारा बुनियादी है। इन सारे वर्कर्स के एम्पलायमेंट को बचाना हमारा बुनियादी मकसद था और जैसाकि हमारे ऑनरेबल मेंबर ईश्वर चन्द्र गुप्ता साहब ने भी बहुत सारी चीजें रखीं। उन्होंने बताय कि बेच नहीं सकते, आप यह नहीं कर सकते। अरे भाई, जो नहीं कर सकते उस के लिए तो आप सब की सहमति चाहते हैं और स्टेट गवर्नमेंट का पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि उन की मुसीबत है कि जो "आइडल वेज" वर्कर्स ले रहे हैं, वह कब तक देते रहेंगे तो उसको निकालने के लिए, यह सारा मॉडर्नाइजेशन का प्लान लाने का हमारा बुनियादी मकसद है। वर्कर्स को किसी को रिट्रेंच न करें, पुरानी मशीनों को निकाल कर फेंक दें और नई मशीन लेकर नए रूप से काम करें, यही मकसद है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, एक बात की गलतफहमी हो रही है लैंड बेचने के बाद कई हजार करोड़ की, हम लोगों ने इतना ही कहा कि सरप्लस जितना है, मिल तो नहीं रहेगा, एक आइडिया आ गया है हमको कि भाई यह हजारों करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जा रहे हैं, उस को बचाने के लिए हम क्या करें? उस जमाने में बड़े-बड़े मालिकों ने ये बना लिया। बड़े-बड़े उस जमाने में मालिकों ने बना लिया और खूब जितना रस चूसना था चूस लिया, गुठली छोड़ दी। अब उस गुठली का व्यापार हो रहा है। इसमें भी क्या बचता है? भाई, यह तो किस्मत वर्करों की है। उस जमाने में लोगों ने एक रुपया गज लिया होगा, आज ज्यादा दाम आ रहा है।

अभी माथुर साहब ने पूछा कि क्या आप यह पैसा डायवर्ट करके किसी और इंडस्ट्री में ले जाएंगे? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह 122 टैक्सटाइल एन०टी०सी० मिलों के अंदर ही खर्च होगा, उससे बाहर नहीं जाएगा, उनके मॉडर्नाइजेशन पर खर्च होगा। प्रागदा कोटैया जी ने कहा कि इतने लाख गज कपड़ा कम हो गया, इतने स्पिंडल कम हो गए, इतना यार्न कम हो गया, तो मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि पैसा अगर ज्यादा आया तो ज्यादा से ज्यादा लूम लाने की कोशिश करेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्पिंडल बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करेंगे और क्वालिटी को ज्यादा अच्छा करके एक्सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेंगे। यह मैं आनेरेबिल मैम्बर को विश्वास दिलाना चाहता हूं।

जैसा आपने कहा, मैंने लोकसभा में भी कहा था कि बेंचने का हम क्या सिस्टम करें। यह सही है, मैं ने ट्रायपार्टाइट कमेटी में भी कहा कि भाई, आप सब लोग रखो। यह तो बदनामी की बात है। मिश्र जी ने भी बड़ा डाऊट जाहिर किया, भाई, यह जो बेचने की बार्त है इसमें नियत खराब हो जाती है। तो हम कितने में भी बेचें, मगर पार्लियामेंट मैम्बर आकर बोलता है कि नहीं, इससे ज्यादा आने वाला था। मैंने बोला—भाई, आप ही लोग रखो। हम रहना नहीं चाहते, आप लोग रहकर जो है बेचो। अब आप इसमें भी पीछे जाते हैं औनेरेबिल मैम्बर और सवाल करने के लिए नंबर वन रहेंगे। चाहे जितने में भी बेंचो, आप सवाल करते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इसके लिए हमने, मिनिस्ट्री की तरफ से हमने सोचा कि एक दो कमटी बनाएं। इसमें एक तो प्रोपर्टी, लैण्ड, जो भी मशीनरी सेल करने के लिए और दूसरी नई मशीनरी परचेज करने के लिए एक कमेटी बनाएं। उस कमेटी के अन्दर किसी ऐसे आदमी का नाम आना चाहिए, जिस पर कोई अंगुली न उठा सके, इवेन आनेरेबिल मैम्बर भी न उठा सकें। तो ऐसे लोगों की कमेटी बनाकर मैं उनके सुपुर्द करना चाहता हूं ताकि वह जो पैसा आएगा उससे यह मोडर्नाइजेशन करके हिन्दुस्तान की वर्किंग क्लास को आगे बढ़ाया जाए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं माथुर साहब और अन्य आनेरेबिल मैम्बर्स को यह बताना चाहता हूं कि मैंने जनवरी, 1993 में जिस वक्त यह पोर्टफोलियो संभाला था, आपको ताज्जुब होगा 12,000 करोड़ का हमारा एक्सपोर्ट था, लास्ट ईयर की फिगर यह है कि 38,000 करोड़ का एक्सपोर्ट टैक्सटाइल मिनिस्ट्री से हुआ है। टोटल एक्सपोर्ट जो है कंट्री का, उसमें 37 परसेंट हमने किया है। अगर 122 मिल का मॉडर्नाइजेशन हो गया तो मुझे विश्वास है कि हम 40 से 45 परसेंट तक आगे जा सकते हैं। आज देश में ही नहीं वरन सारी दुनिया के अंदर टैक्सटाइल का सारा दिवाला हो रहा है। यूरोप में भी और अमरीका में भी यही हाल है। साऊथ कोरिया, जापान में थोड़ा टैक्सटाइल रह गया है। सिर्फ दो कंट्री में रह गया है, जिनमे नंबर एक चाइना का आता है और नंबर दो पर इंडिया है। दुनिया की टोटल टैक्सटाइल की परसेंटेज में चाइना का 13 परसेंट है और हिंदुस्तान का जो है वह 2 परसेंट है। मैं समझता हूं कि हमारी जितनी भी टैक्सटाइल की इंडस्ट्री है अगर उन 122 का मॉडर्नाइजेशन हो जाए तो हमारा परसेंटेज और ऊपर आएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अब कहा गया कि प्राइवेट वालों का क्या सवाल है। कई मैम्बरों ने बताया कि प्राइवेट मिल का क्या हाल है? जुमला देश में 1350 इंडस्ट्री टैक्सटाइल की है, जिनमें हमारी पब्लिक सैक्टर की तकरीबन 200 है और बाकी 1000 से ऊपर प्राइवेट सैक्टर की है। टैक्सटाइल मिनिस्ट्री यह सोच रही है कि क्या हम प्राइवेट सैक्टर के लिए भी कुछ मदद कर सकते हैं, उनको मोडर्नाइजेशन का रास्ता दे सकते हैं क्या। उद्देश्य यह है कि अगर प्राइवेट सैक्टर की मिलों का भी मोडर्नाइजेशन हो गया तो वर्कर्स का तो भला होगा ही और वर्कर्स का ही भला नहीं होगा बल्कि देश का भी एक्सपोर्ट से भला होगा और हमारी प्रगति भी आगे बढ़ सकती है।...चाइना जिस तरह से आगे जा रहा है, उसी तरह से हिंदुस्तान को भी इस रास्ते पर ले जाना हमारा बुनियादी मकसद है टैक्सटाइल मिनिस्ट्री का। उपसभाध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत सारे प्वाइंट्स हैं लेकिन बुनियादी मकसद हमारा एक ही है कि सरप्लस लैंड वगैरह बजट सपोर्ट के। अब आप बोलेंगे कि बजट से क्यों नहीं ले रहे हैं? उपसभाध्यक्ष जी, मैंने एक प्वाइंट

नहीं बताया आपको कि ट्राइपारटाइट कमेटी में जाने से पहले हमने इन्कम टैक्स से वेल्यूएशन भी कराया कि यह जो सरप्लस लैंड है इसका वेल्यूएशन क्या होता है? इन्कम टैक्स डिपार्टमेंट ने वेल्यूएशन करके भी भेजा है, इतना पैसा आएगा जितना मोडर्नाइजेशन के लिए जरूरी है। आपके कुछ ख्वाब अगर पूरे हो गए, हमको जितना चाहिए उससे दुगुना मिले, तो लूम्स बढ़ेंगे, स्पिनडिल्स बढ़ेंगे, किसी और इंडस्ट्री में इस काम के लिए पैसा नहीं जाएगा, यह मैं आनरेबल मैम्बर्स को विश्वास दिलाता हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, प्राइवेट मिलों के बारे में अंदाजा हमारा है कि अगर 15,000 करोड़ आए तो जो 1,000 से ऊपर प्राइवेट सैक्टर मिल्स हैं, उनमें से 75 परसेंट सिक हैं यानि कि कैश क्लाथ में चल रही हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए भी हम स्कीम तैयार कर रहे हैं। बहुत मुमकिन है कि उनको किसी न किसी तरह से हम पैसा लाकर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में दें और उन लोगों को कहें कि हाई वेल्यू क्लाथ को बनाकर एक्सपोर्ट करने के लिये वे रास्ता खोलें। यह सोच रही है टैक्सटाइल मिनिस्ट्री। मैं फाइनली कोई निर्णय किए बगैर ऑनरेबल मैम्बर्स को बताना नहीं चाहता और उसमें वर्क आउट करके मैं फिर आपके सामने आऊंगा ताकि इंडिया की एन०टी०सी० टैक्सटाइल मिल्स ही नहीं, बल्कि इंडिया की 1300 से ऊपर जो टैक्सटाइल इंडस्ट्री हैं, उन सबका मॉडर्नाइजेशन होकर दो-तीन साल के अन्दर दुनिया के सामने हमारा जो क्लाथ, हमारा जो यार्न है, वह आए।

हैंक यार्न के लिए अभी हमारे प्रागदा कोटैया साहब बोल रहे थे, उनको जवाब देना चाहता हूं, अभी चले गए वे, कि जितना हैंक यार्न हमारी कंट्री के लिए जरूरी है उससे ज्यादा प्रोडक्शन हम लेकर रखे हैं, उठाने वाले नहीं हैं। मिल वाले बंक मार रहे हैं कि हैंक यार्न, हैंक यार्न, आप 50 परसैंट आब्लीगेशन बोलते हैं, हम दे रहे हैं, मगर खर्चा नहीं हो रहा है, खरीदी नहीं हो रही है। तो इन सारे पहलुओं को देखकर, इधर मिल को बचाना है, इधर वीवर को बचाना है। अब बोलते हैं कि कॉटन के प्राइसिज़ उपर गए हैं, इन वर्करों की क्या हालत है, इन वीवर्स की क्या हालत है? मैं आप से कहता हूं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जब हमने उनसे कहा, जब वी० पी० सिंह की गवर्नमेंट थी तो स्टारविंग डेथ्स हुए, फिर यह रास्ता यहां भी आ जाएगा क्योंकि 1991 में जो हालत हुई, स्टारविंग डेथ्स हुई वीवर्स की, फिर हो जाएगी तो उन्हें प्रति किलोग्राम 20 रुपए सबसिडी दिया गया है, दो साल से दे रहे हैं क्योंकि कॉटन के प्राइस बढ़ गए हैं, तो उनकी मदद के लिए हम कर रहे हैं। इधर वीवर्स को देखना है, उधर किसानों को देखना है। किसान साल-दो साल से बहुत खुश हैं उनको अच्छा रेट मिल रहा है कॉटन के लिए। इधर वीवर्स को हम देख रहे हैं कि इनको सबसिडी दी है तो ये मरेंगे नहीं, कम से कम जिंदा रहेंगे और उनके लिए कई स्कीमें हमने दी हैं। अब प्रागदा कोट्या ने सब स्कीमों को देखा है लेकिन अमल क्यों नहीं हो रहा है। उपसभाध्यक्ष जी, करोड़ों रुपया हैंडलूम वीवर्स के लिए हम दे रहे हैं, लेकिन उस पर अमल किसने करना है? स्टेट गवर्नमेंट ने। मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि बिलो पावर्टी लाइन जीने वाले वीवर्स के लिए हम जो पैसा भेज रहे हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन हमारे हाथ में नहीं है, वह स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में है और अगर वे नहीं कर रहे हैं तो प्रागदा कोटैया साहब को वहां धरना करना चाहिए उसको अमल कराने के लिए।

तो मैंने यह सारी चीजें आपके सामने इसलिए रखीं ताकि मैं बता सकूं कि टैक्सटाइल मिनिस्ट्री क्या कर रही है और टैक्सटाइल मिनिस्ट्री ने आज हिंदुस्तान में पहली बार 122 मिलों के मॉडर्नाइजेशन का प्रोग्राम लिया है। उपसभाध्यक्ष जी, यह हिंदुस्तान में ही नहीं, मैं कह सकता हूं ऑनरेबल मैम्बर्स के सामने कि सारी दुनिया में आज तक 122 मिलों का मॉडर्नाइजेशन किसी ने नहीं लिया और इसे टैक्सटाइल मिनिस्ट्री, गवर्नमेंट आफ इंडिया ने लिया है और हमारी मदद करने के लिए आप सबकी सहायता चाहिए।

मैं जीवन राय साहब से अपील करता हूं कि उन्होंने जो अमेंडमेंट दिया है, हमारी ट्राइपरटाइट कमेटी में वे सारी चीजें मौजूद हैं और उसको केबिनेट ने सैंक्शन किया है और सैंक्शन होने के साथ करीब 15 मिलों को जो टेक-ओवर किए थे, उनके नेशनलाइजेशन के लिए आपके सामने आए हैं, तो आप कृपा करके विदड्रा करेंगे और हमारा साथ देंगे। इन चन्द अल्फाज़ के साथ मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mathurji, are you pressing your Resolution seeking diapproval of the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Amendment Ordinance, 1995?

श्री जगदीश प्रसाद माथुरः महोदय, बिल का उद्देश्य तो अच्छा है। आश्वासन भी मंत्री महोदय ने दिए हैं,

केवल संदेह थोड़ा रहता है कि एन०टी०सी० में ईमानदारी आवश्यकता से ज्यादा है। लेकिन फिर भी आपने जो बातें कही हैं, मैं उसमें अड़चन नहीं डालना चाहता और चाहता हूं कि बिल पास हो जाए और आप काम शुरु करा दें। इसलिए में अपने संशोधन प्रस्ताव को वापिस लेता हूं।

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I shall now put the motion moved by Shri G. Venkat Swamy to vote. The question is:

> "That the Bill to amend the Sick Textile Undertakings (Nationalisation) Act, 1974 and the Swadeshi Cotton Mills Company Limited (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1986, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill. We shall take up clause 2. There is one amendment by Shri Jibon Roy.

Mr. Jibon Roy, are you moving your amendment?

श्री जीवन राय: मैंने बिल को स्पोर्ट कर दिया।

You only give an assurance that you will not denationalise it. Then, I will not move any amendment.

Clause 2 was added to the Bill

Clauses 3 and 4 were added to the Bill

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Sir, I move

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, we will take up the other Bill.

Mathurji, you have moved another Resolution. Are you withdrawing the Resolution seeking disapproval of the Textile Undertakings (Nationalisation) Ordinance, 1995?

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Sir, I withdraw the Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): I shall now put the motion moved by Shri Venkat Swamy to vote. The question is:

> That the Bill to provide for the acquisition and transfer of the textile undertakings, and the right, title and interest of the owners in respect of the textile undertakings, specified in the First Schedule with a view to augmenting the production and distribution of different varieties of cloth and yarn so as to subserve the interests of the general public and for matters connected therewith or incidental thereto, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 15 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause 16. There is one amendment by Shri Jibon Roy.

SHRI JIBON ROY: I am not moving my amendment.

Clause 16 was added to the Bill.

Clauses 17 to 19 were added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause 20. There is one amendment by Shri Jibon Roy.

SHRI JIBON ROY: I am not moving my amendment.

Clause 20 was added to the Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): We shall now take up clause 21. There is one amendment by Shri Jibon Roy.

SHRI JIBON ROY: I am not moving it.

Clause 21 was added to the Bill.

Clauses 22 to 38, and the 1st and the 2nd Schedules were added to the Bill.

Clause 1 and the Enacting Formula were added to the Bill.

The Preamble was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

SHRI G. VENKAT SWAMY: Sir, I beg to move:

"That the Bill be passed."

The question was put and the motion was adopted.

SHRI VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Now, we will take up the National Commission for Minorities (Amendment) Bill, 1995.

THE NATIONAL COMMISSION FOR MINORITIES (AMENDMENT) BILL, 1995.

श्री जगदीश प्रसाद माथुर (उत्तर प्रदेश): श्रीमन्, मेरी इसमें असहमति है।..**(व्यवधान)**..इस प्रकार से लास्ट समय में, आखिरी दिन में, आखिरी घंटे में लाना, यह अनुचित है। हम लोग चाहते थे कि पूरी डिबेट हो। जहां तक एक छोटा अमेंडमेंट है, जितना औरों को दिया उसमें मेरा कोई ऐतराज नहीं है लेकिन सिद्धांत में मैं और मेरा दल इसमें कई बातों में विरोध करते है तो मैं समझता हूं कि यह जबरदस्ती नहीं की जानी चाहिए।..**(व्यवधान)**..

श्री एस॰एस॰ अहलुवालिया: (बिहार): जी नहीं, जी नहीं..यह वाइस-चेयरमैन का सवाल है, इसको मत बोलिए...**(व्यवधान)**...आप छोड़ दीजिए इसको।...**(व्यवधान)**...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: जिस सिद्धांत पर आप बता रहे हैं, मैं समझता हूं कि माइनॉरिटी कमीशन ऐज़ सच भी संविधान की भावनाओं के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। ह्यूमन राइट्स कमीशन आज है। ह्यूमन राइट्स कमीशन है, आप उसको बढ़ा दीजिये। आप ह्यूमन राइट्स कमीशन एक रखते, माइनॉरिटी कमीशन अलग है।...**(व्यवधान)**....मेरा इसमें प्रारंभिक मतभेद है नंबर एक कि आप अंत के दिन इस चीज को क्यों लाए है?

THE MINISTER OF WELFARE (SHRI SITARAM KESRI): Minorities Commission is already existing.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: I know that.

श्री सीताराम केसरी: सुनिए, आप जो बोल रहे हैं, वह अलग से डिबेट कर लीजिएगा,...**(व्यवधान)**...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: डिबेट अलग से नहीं हो रही है।....**(व्यवधान)**...मैं तो निवेदन करुंगा कि क्या यह पद्धति सही है कि आखिरी दिन आखिरी समय में एकदम चार बिल लाए जाएं, यह क्या तरीका है?...**(व्यवधान)**...दो दिन पहले बिल को सरकुलेट करने का नियम है, उसको आपने कब किया है? Why have you waived this condition?

उपसभाअध्यक्ष (श्री वी॰ नारायणसामी): माथुर जी...

श्री जगदीश प्रसाद माथुर: नहीं, मुझे अपनी बात तो कहने दीजिए। नियम के अनुसार दो दिन पहले कम से कम बिल सरकुलेट होना चाहिए। You have not done it.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mathur Sahib, you have made your point. Kindly take your seat.

SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR: Moreover there is no quorum. आज कोरम देखिए, कोरम की नहीं है। कोरम है? कोरम ही नहीं है।

SHRI M.A. BABY (Kerala): Sir, it is a fact that the Business Advisory Committee had allotted two hours time for the discussion of this Bill, but even then there have been occasions when we generally do not differ and everybody agrees that there would not be any dispute and everybody would support this Bill because this is an innocuous Bill. Of course. This is also an important Bill because, in the absence of the Chairman of the Minotirties Commission, there should be a Vice-Chairman to preside